सूरजभान वगै0 बनाम राजस्थान सरकार

ना पत्र संख्याः 34 / 2024

ांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादी / अप्रार्थी को आदेशित किया जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बरान् क्रमशः 698, 700, 701, 707, 637, 635, 636, 747 व 748 का रिकार्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पुराने नाम हटाया जाकर उक्त वर्णित आराजी में पुराने नामों के स्थान पर गजट नोटिफिकेशन के आधार पर सही व वास्तविक नामों को दुरूस्त किया जावे तथा वादीगण के नाम पर्चा लगान बनाया जावे। बहस प्रार्थीगण एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बगरू रावान, पटवार हल्का अवानिया तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बरान् क्रमशः 698, 700, 701, 707, 637, 635, 636, 747 व 748 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नियमानुसार नाबालिग से बालिग का नामान्तकरण दर्ज करे। निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को सुनाया गया। (हिम्मत सिंह) उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय) (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:34.20 IST
Reason: SelfAttested